

3 July 26 / 2022

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... जिला कलेक्टर..... मुकाम..... टोंक

बनाम..... एव-डी. 2 अप्रैल 2021 एवं नगरिक आधुनिक निगम लिमिटेड टोंक।
 मुकदमा..... अपील T.P.P. नं..... 21 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3 ² / ₂₀₂₁	अभिजातक अपीलान्त उपस्थित ही अपील अपीलान्त पूर्ण फीट फीस पर एवं समाचार अदालत ही दर्ज रजिस्ट्रार की जाके। अपील मीमो के साथ फाईना-पर रियोगन की संलग्न है। दर्ज रजिस्ट्रार ही। लखी प्रतिपक्षीगण की जाके तथा सम्बन्धित प्रभावली मय रिपोर्ट लख कर प्रभावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।	जिला कलेक्टर टोंक
17 ² / ₂₀₂₁	अभिजातक अपीलान्त उप-। अभिजातक साथ रेस्पोंडेंट। प्रतिपक्षीगण को मेरे गले नोटिस की संज्ञा राज की रसीदें पेश की गई। प्रतिपक्षीगण साथ प्रभाव मय दस्तावेज पेश किया जो सम्बन्धित फाइल किया गया एवं प्रभाव की एक प्रति अभिजातक अपीलान्त को दिखलाई गई। वरुस प्रभावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।	209 / 16(2)/2021
22 ² / ₂₀₂₁	अभिजातक अपीलान्त क प्रतिपक्षीगण संकट उप-। वरुस हेड अककर पेश है। वरुस प्रभावली दिनांक 25-2-2021 को पेश है। प्रतिपक्षी कं. उने प्रभाव पेश किया जो सम्बन्धित फाइल किया गया।	जिला कलेक्टर टोंक

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

21/2
222

अभिभावक उन्मयपत्र उप-1 आज एक
अन्य राजदरमि से ग्यारह रूले के कारण
आदेश नहीं जुगा करे। बरिरे आदेश
पत्रावली दिनांक 24-2-2022 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
टांक

22/2
222

अभिभावक उन्मयपत्र उप-1 पत्रावली पर
आपे दफ्तरके जो का अकरोकय बिना
जाया। अभिभावक अफीलर द्वारा
ई-निविदा भोरिख दिनांक 16-12-2022
राज्य शासक एवं नागरिक आग्रहि निजक
योक की निविदा पर अपीर पेश कर
निवेदन किया है कि R.T.P.P. नियम 39
के तहत उक्त कार्य हेतु उपायन प्रक्रिया
में स्थान अपेक प्रदान कर वरिरे
प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी की फर्म को
भी एकनीदि बिड में योग्य घोषित कर
प्रार्थी की विलीय बिड खोली जाके। साथ
ही उपायन समिति द्वारा योग्य घोषित
फर्म अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति वंसा
द्वारा निविदा की शर्त सं. 9(बी) की पारना
में अपाधिगत हेरिखर उपायन - पर खोजन
करके जो रिबिडि पर लेबर उक्त फर्म को
एकनीदि बिड मुहयोकन में अयोग्य
घोषित करमावे। अप्रार्थी सं. 192 ने
अवगत करमा है कि फर्म द्वारा निजक
कार्य करते हुए कार्य पूर्ण कर लिया है तथा
पुनः अगले वर्ष के लिए निविदाएं जारी की
जा चुकी है। अतः अपीर को आदेश परकरे
जाके का कोई औचित्य नहीं होने से
अपीर अपीरगत व प्रार्थिता - पर स्थान
अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली केवल
मुहयार होकर वाप एकनीर जाकर राखि
दफ्तर की जाके।

जिला कलेक्टर
टांक